प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 16 अगस्त, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 में "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एट बलरामपुर" की स्थापना के अंतर्गत 300 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 9197/योजना अनु0/2021, दिनांक 27.07.2021 एवं पत्रांक-3669/योजना अनु0/2021, दिनांक 14.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद बलरामपुर में के0जी0एम0यू0 के सेटेलाईट सेन्टर- "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एट बलरामपुर" की स्थापना के अंतर्गत 300 बेडेड चिकित्सालय निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-53/2019/2428/71-2-19-287/2017 टी0सी0, दिनांक 18.11.2019 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के सेटेलाइट सेन्टर- "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐट बलरामपुर" की स्थापना के अंतर्गत 300 बेडेड चिकित्सालय निर्माण प्रायोजना हेतु 'रू0 8512.00 लाख + जी0एस0टी0' की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 2000.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-9/2021/4723/71-2-21-287/2017 टी0सी0, दिनांक 29.01.2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अनुमोदित लागत 'रू0 8512.00 लाख + जी0एस0टी0' के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 851.20 लाख अवमुक्त किए जाने के आदेश निर्गत किए गए है।

3- उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 27.07.2021 एवं 14.07.2021 में किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के सेटेलाइट सेन्टर- "अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐट बलरामपुर" की स्थापना के अंतर्गत 300 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण किये जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 24-बृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि '4000.00 लाख (रू0 चार हजार लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 3532.80 लाख (रूपया तीन हजार पांच सौ बत्तीस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/डाकघर इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।
2. प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि यथावश्यक कार्यमदों पर नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
3. प्रश्नगत प्रायोजना हेतु मूल शासनादेश दिनांक 18.11.2019 द्वारा अधिरोपित शर्त यथावत रहेंगे।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किये जाने के दृष्टिगत मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/कुलपति/कुलसचिव का होगा।
5. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव/कुलपति की होगी।
6. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ, फायर एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
7. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
8. अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
9. विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजना के लिये नहीं किया जायेगा तथा व्यय, स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
11. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. प्रश्नगत प्रायोजनान्तर्गत भविष्य में तृतीय किश्त निर्गत किए जाने हेतु प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव में प्रथम किश्त एवं उक्त द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य के संबंध में आई0आई0टी0/एम0एन0एन0आई0टी0, इलाहाबाद, प्रयागराज की थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।
13. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष, कार्यालय मे तैनात वित्त नियन्त्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।
14. इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में निर्गत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-77-जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का सेटेलाइट सेन्टर-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-89/2021 (1)/71-2-21-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक, अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, बहराइच इकाई।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।